



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-भाग (१)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ७१]

नई दिल्ली, राष्ट्रपति, फरवरी १९, २००७/माघ ३०, १९२८
No. 71] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 2007/MAGHA 30, 1928

कृषि एवं खाद्योंग उत्तरोग चंडीगढ़

अधिसूचना

नई दिल्ली, १९ फरवरी, २००७

सा. नं. ९१(३)—खाद्य और खाद्योंग आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ नं. ६१) की घटा २७ की उप-भाग (१) और (३) के अधीन प्रदत्त उल्लिखित कद प्रयोग करते हुए, कोन्व सरकार, खाद्य और खाद्योंग आयोग कर्मचारी (कार्डिकरण, नियंत्रण और अपेल) विनियम, २००३ में और संशोधन के लिए एन्टद्वारा निर्माणित विनियम बनाती है :—

१. (१) इस विनियम को खाद्य और खाद्योंग आयोग कर्मचारी (कार्डिकरण, नियंत्रण और अपेल) संशोधन विनियम, २००७ कहा जा सकता है।

(२) इस अधिसूचन में अन्यका उपलब्ध के अनुसार, ये विनियम अवधूत, २००४ के १५वें दिन से तात् एवं प्रभाली होंगे।

२. अधिनियम पैराग्राफ की लिए खाद्य और खाद्योंग आयोग कर्मचारी (कार्डिकरण, नियंत्रण और अपेल) संशोधन विनियम, २००६ में, निर्माणित प्रक्रियालय किए जाएं, नवजः :—

“खाद्य और खाद्योंग आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ नं. ६१) की घटा २७ की उप-भाग (३) के अधीन प्रदत्त उल्लिखित कद प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, खाद्य और खाद्योंग आयोग कर्मचारी (कार्डिकरण, नियंत्रण एवं अपेल) विनियम, २००३ में संशोधन हेतु एन्टद्वारा निर्माणित विनियम बनाती है, नामतः”।

३. भाग VII में “खाद्य और खाद्योंग आयोग कर्मचारी (कार्डिकरण, नियंत्रण और अपेल) विनियम, २००३ के,—

(i) विनियम १८ और उसमें की गई प्रक्रियाओं को हटा दिया जाएगा।

(ii) विनियम १९ में “विनियम १८ के प्रत्याहारों के अधीन” शब्दों और अलारों को हटा दिया जाएगा।

[भा. नं. १५(१)/२००६ के, नी. अट.-३]

राष्ट्र चुनून युलिकाका, संयुक्त सचिव

खाद्यखानाका ज्ञापन

१. आयोग के मुख्यालय के दौरान से दिवांग १४ अक्टूबर, २००४ के अधिसूचना संख्या ११२०(अ) के लागे दिनांक १४-१०-२००४ को खाद्य और खाद्योंग आयोग का विनियम कर दिया गया था।

3. आधिकारिक विवरण में अनुच्छेद 2 के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 2 की अंतिम वाक्यांशों का प्रयोग से उसके काम प्रभिकारण व्यापी भी प्रभावी हो सकता है। इसके लिए विवरण में अनुच्छेद 2 की अंतिम वाक्यांशों का वर्णन करने की ज़रूरत है। अनुच्छेद 2 की अंतिम वाक्यांशों का वर्णन करने की ज़रूरत विवरण में अनुच्छेद 2 की अंतिम वाक्यांशों का वर्णन करने की ज़रूरत है। अनुच्छेद 2 की अंतिम वाक्यांशों का वर्णन करने की ज़रूरत विवरण में अनुच्छेद 2 की अंतिम वाक्यांशों का वर्णन करने की ज़रूरत है।

3. अवकाश ने दिवांग 12-9-2006 की अधिकृतता के आधिकार गैर में घोषित हो गई है यह लट्टेज किए जाते हैं कि "खादी और प्रमोटरोंग अपेंग अधिकार, 1956 (1956 का 61) की घटा 27 की दृष्टि-घटा (1) के मानने प्रदृष्ट उपलिख्त बदलाव करते हुए, आधिकार के समकाल के पूर्ण अनुग्रह से, खादी और प्रमोटरोंग आवाहन करनेवाले (सरकारी, नियंत्रण और अपेंग) विभाग, 2003 में संशोधन के तहत समाप्तान विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग करता है" —यामः;" यह उल्लेख-विभाग है कि विध्युत खादी और प्रमोटरोंग आवाहन करनेवाले (सरकारी, नियंत्रण और अपेंग) विभाग, 2003 में संशोधन करता है 14-10-2004 और 19-7-2006 के बीच अपेंग की विभाग अधिकार के दौरान आधिकार किए गए था, खादी और प्रमोटरोंग अपेंग करनेवाले (सरकारी, नियंत्रण और अपेंग) विभाग, 2003 में संशोधन करते हुए अधिकृतता विभाग विध्युत खादी अनुग्रह प्राप्ति विभाग सभी औपचारिकताओं को देखते हुए वह ही 12-9-2006 को जारी की जा सकी कठोर 2 का अवधारणा कृपि एवं यह अन्तिम दर्शाने विभाग में अकाल द्वारा बढ़ी की गई विभाग से है "कठोर समकाल की पूर्ण अनुग्रह से आयोग, समाप्तान खादी और प्रमोटरोंग अपेंग करनेवाले (सरकारी, नियंत्रण और अपेंग) विभाग, 2003 में संशोधन के लिए नियंत्रितिवाला विभाग, 2003 बदला है; यामः;" यह "बैंड समकाल की पूर्ण अनुग्रह से आयोग" हालें को विभागने के लिए विभाग विध्युत खादी का बदला है, कठोर आपेंग जी विभाग अधिकार के दौरान आपेंग का वार्तालाय पौरूष नहीं था। इसलिए, खादी और प्रमोटरोंग अपेंग (सरकारी, नियंत्रण और अपेंग) विभाग, 2003 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

5. यह जारीकरण किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के मूलतयी प्रवान-से प्रभावित काप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF AGRO-INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

NOTIFICATION
New Delhi, the 19th February, 2007

- (1) These Regulations may be called the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2007.
(2) Save as otherwise provided in this notification, these Regulations shall come into force and deemed to have been effective from the 14th day of October, 2004.
 2. In the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2006, for the opening paragraph, the following shall be substituted:

"In exercise of the powers conferred under Sub-section (3) of Section 27 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Annual) Regulations, 2003, namely:-"

3. In the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2003 in Part VII,—

- (i) regulation 18, and the entries thereto shall be omitted;
- (ii) in regulation 19, the words and letters "subject to the provisions of regulation 18" shall be omitted.

[F. No. 15(1)(2008-KVI-II)]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy

Explanatory Memorandum

1. The Khadi and Village Industries Commission was dissolved on 14th October, 2004, under notification number 1120(E), dated the 14th October, 2004, in order to facilitate revamping of the Commission.

2. During the period of dissolution of the Commission, the authorities for exercising disciplinary and appellate powers were required to be specified in the Schedule to the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2003, as the offices of the Chairman and the Commission hitherto exercising those powers, were no longer in existence. It had, therefore, become pertinent to specify the disciplinary and appellate authorities in the said Schedule, for the interim period i.e., the period between the date of dissolution of the Commission on 14th October, 2004, till its re-constitution on 19th July, 2006. Hence, the amendments in the table to the Schedule for the said period have been given effect retrospectively from 14th October, 2004. The KVIC Employees (CCA) Regulations were amended under Notification No. G.S.R. 549 (E) dated 12th September, 2006.

3. Inadvertently an error has crept in the opening Para of the Notification dated 12-9-2006, where it has been mentioned that "in exercise of the powers conferred under Sub-section (1) of the Section 27 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) the Commission, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2003, namely—" It may be stated that though the action to amend the KVIC Employees (CCA) Regulations, 2003 was initiated during the period of dissolution of the Commission between 14-10-2004 and 19-7-2006, the Notification amending the KVIC Employees (CCA) Regulations, 2003 could be issued only on 12-9-2006 after observing all formalities including obtaining the approval from the Department of Legislative Affairs. Since the notification was made by the Government in the Ministry of Agro and Rural Industries, the words "the Commission with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2003, namely" may be amended to delete the words "the Commission with the previous sanction of the Central Government" as during the period of dissolution of the Commission, the Office of the Commission was non-existent. Hence it is proposed to amend the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2003.

4. As the amended KVIC Employees Regulations, 2003 provide for Minister for Agro and Rural Industries as the Appellate Authority for all penalties for the posts specified in the said Regulations, it has become necessary to delete Regulation 18 and entries relating thereto in Part VII of the said Regulations. Consequently, the entry "subject to Regulation 18" in Regulation 19 shall also be omitted. Since the amendment in the Schedule to KVIC CCA Regulations, 2003 was given retrospective effect with effect from 14th October, 2004, the deletion of Regulation 18 in Part VII of the said Regulations and reference to Regulation 18 in Regulation 19 also has been given effect retrospectively from 14-10-2004.

5. It is certified that no person will be prejudicially affected with the retrospective effect being given to this notification.

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India vide notification No. G.S.R. 433(E), dated the 27th May, 2003 and amended vide Notification No. G.S.R. 549(E), dated 12th September, 2006.